रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 13, 2002/श्रावण 22, 1924
No. 205] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13, 2002/SRAVANA 22, 1924

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
संकल्प

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2002

सं. 371/20/99-ए वी डी-III.—संसद की संयुक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में यथा संस्तुत, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग-विधेयक, 1999, विचार किए जाने और पारित किए जाने हेतु लोक सभा में लंबित चल रहा है ;

और केन्द्रीय सतर्कता-आयोग, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग-अध्यादेश, 1998 की धारा 3 के अंतर्गत गठित किया गया था तथा उपर्युक्त आयोग, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिनांक अप्रैल 04, 1999 के एक समसंख्यक संकल्प के आधार पर क़ायम है ।

और पूर्वोक्त संकल्प में केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त और अन्य सतर्कता-आयुक्तों के पद भरे जाने के बारे में कोई प्रावधान विशेष नहीं था ;

और मौजूदा केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के उपरांत सितम्बर 02, 2002 को अपने पद का कार्य-भार छोड़ देंगे तथा अन्य सतर्कता-आयुक्त ने अपना कार्य-काल पूरा कर लेने के उपरांत मार्च 15, 2002 को अपने पद का कार्य-भार पहले ही छोड़ दिया है ;

और विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत-संघ और अन्य के मुकदमें में 1993 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 340-343 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त और सतर्कता-आयुक्त (आयुक्तो) के पद भरे जाने की दृष्टि से दिनांक अप्रैल 04,1999 के संकल्प में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं ;

2522 GI/2002

अतः, अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि दिनांक अप्रैल 04, 1999 के पूर्वोक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किए जाएँ अर्थात् :-

"उक्त संकल्प के पैराग्राफ़-I के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए, अर्थात् :-

"1.1 आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा --

(क) एक केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त - अध्यक्ष;

(ख) दो से अनधिक सतर्कता आयुक्त - सदस्य ;

1.2 केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त और सतर्कता-आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जो -

(क) अखिल भारतीय सेवा में या संघ की किसी सिविल सेवा में या संघ के अधीन किसी सिविल पद पर रह चुके हैं या हैं और जिनके पास सतर्कता, नीति बनाने और प्रशासन जिसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन भी है, से संबंधित विषयों का ज्ञान और अनुभव हो ; अथवा

(ख) किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में कोई पद धारण कर चुके हैं या पद पर हैं और ऐसे व्यक्ति जिनके पास वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा और बैंककारी भी हैं, विधि, सतर्कता और अन्वेषणों में विशेषज्ञता और अनुभव हो :

परन्तु केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त और सतर्कता-आयुक्तों में खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के एक ही प्रवर्ग से संबंधित दो से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे ।

1.3 (i) केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त और सतर्कता-आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाएँगे :

परन्तु इस पैराग्राफ़ के अधीन प्रत्येक नियुक्ति एक समिति की सिफ़ारिश अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी -

(क)	प्रधान मंत्री	-	अध्यक्ष ;
(ख)	गृह मंत्री	-	सदस्य ;
(ग)	लोक-सभा में विपक्ष का नेता	-	सदस्य ।

(ii) ऊपर पैराग्राफ़ 1.2 में यथा स्पष्ट की गई पात्रता से संबद्ध शर्तें पूरी करने वाले व्यक्तियों के नामों का एक पैनल, मंत्रिमंडल-सचिव द्वारा, उपर्युक्त समिति को उसके विचारार्थ मुहैया करवाया जाएगा ।

स्पष्टीकरण - इस पैराग्राफ़ के प्रयोजनों के लिए, ''लोक-सभा में विपक्ष के नेता '' के अंतर्गत जब मान्यता प्राप्त ऐसा कोई भी नेता नहीं हो तो - लोक-सभा में सरकार के सबसे बड़े एकल विरोधी दल के नेता शामिल होंगे ।

(iii) केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त या किसी सतर्कता-आयुक्त की कोई नियुक्ति समिति में किसी रिक्ति के कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी ।

1.4 केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त और प्रत्येक अन्य सतर्कता-आयुक्त अपना-अपना पद ग्रहण करने की तारीख़ से क्रमशः चार वर्ष और तीन वर्ष की अवधि तक अथवा पैंसठ वर्ष की आयु का हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक पद धारण करेंगे ।

1.5 केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त और प्रत्येक अन्य सतर्कता-आयुक्त, पद धारण करना समाप्त कर देने पर-

(क) आयोग में पुनःनियुक्ति के लिए ;

(ख) भारत-सरकार या किसी राज्य-सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आगे नियोजन के लिए पात्र नहीं होगा ।

1.6 केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त या कोई सतर्कता-आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, इस संकल्प की अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए हुए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

1.7 केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त या कोई सतर्कता-आयुक्त राष्ट्रपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

1.8 संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें -

(क) केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त की वही होंगी जो संघ-लोक-सेवा-आयोग के अध्यक्ष की हैं;

(ख) सतर्कता-आयुक्त की वही होंगी जो संघ-लोक-सेवा-आयोग के सदस्य की हैं :

परन्तु यदि केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त या कोई सतर्कता-आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत-सरकार के अधीन या किसी राज्य-सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत कोई पेंशन (निःशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) प्राप्त करता है तो केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त या किसी सतर्कता-आयुक्त के रूप में सेवा की बाबत उसका वेतन, उसकी पेंशन, जिसके अंतर्गत पेंशन का संराशीकृत किया गया भाग और सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य प्रकार से समतुल्य पेंशन भी हैं किन्तु इसमें सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन नहीं है, की राशि के बराबर कम कर दिया जाएगा ।

परन्तु यह भी कि यदि केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त अथवा कोई सतर्कता-आयुक्त अपनी नियुक्ति की तारीख़ को किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अथवा उसके अनुसार स्थापित किसी निगम में अथवा केन्द्रीय सरकार की अपनी अथवा अपने द्वारा नियंत्रित किसी कम्पनी में पहले की गई सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति-प्रसुविधाएं ले रहे हों तो केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त अथवा किसी सतर्कता-आयुक्त के रूप में की जा रही सेवा के संबंध में उन्हें देय वेतन में से सेवानिवृत्ति-प्रसुविधाओं के समतुल्य पेंशन की धनराशि कम कर दी जाएगी ।

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त या किसी सतर्कता-आयुक्त को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा । "

अनुसूची

[पैराग्राफ 1.6 देखिए]

केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त या सतर्कता आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप :--

" मैं अमुक, जो केन्द्रीय सतर्कता-आयोग का केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त (या सतर्कता-आयुक्त) नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा।"

एस. के. पुरकायस्थ, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

RESOLUTION

New Delhi, the 13th August, 2002

No. 371/20/99-AVD-III.—WHEREAS the Central Vigilance Commission Bill, 1999, as reported by the Joint Committee of Parliament is pending for consideration and passing in the Lok Sabha;

AND WHEREAS the Central Vigilance Commission was constituted under Section 3 of the Central Vigilance Commission Ordinance, 1998 and the same is continuing by virtue of a Resolution of even number dated the 4th April 1999 issued by the Central Government.

AND WHEREAS the aforesaid Resolution did not contain a specific provision about the filling up the posts of Central Vigilance Commissioner and other Vigilance Commissioners;

AND WHEREAS the present Central Vigilance Commissioner will be demitting office on 2nd September, 2002 on completion of his tenure and that other Vigilance Commissioner has already demitted office on the 15th March, 2002 after completion of his tenure;

AND WHEREAS it has become necessary to make amendments in the Resolution dated the 4th April, 1999 to fill up the posts of the Central Vigilance Commissioner and other Vigilance Commissioners in accordance with the directions given by the Supreme Court in Criminal

2522 GI/02

Writ Petition Nos. 340-343 of 1993 in Vineet Narain and Others Versus Union of India and Others;

NOW, THEREFORE, the Central Government hereby resolves that the following amendments shall be made in the aforesaid Resolution dated the 4th April 1999, namely: -

"In the said Resolution, after paragraph 1, the following shall be inserted, namely: -

"1.1. The Commission shall consist of –

(a) a Central Vigilance Commissioner – Chairperson;

(b) not more than two Vigilance Commissioners – Members.

1.2. The Central Vigilance Commissioner and the Vigilance Commissioners shall be appointed from amongst persons –

(a) who have been or are in an All-India Service or in any civil service of the Union or in a civil post under the Union having knowledge and experience in the matters relating to vigilance, policy making and administration including police administration; or

(b) who have held office or are holding office in a corporation established by or under any Central Act or a Government company owned or controlled by the Central Government and persons who have expertise and experience in finance including insurance and banking, law, vigilance and investigations:

Provided that, from amongst the Central Vigilance Commissioner and the Vigilance Commissioners, not more than two persons shall belong to the category of persons referred to either in clause (a) or clause (b).

1.3. (i) The Central Vigilance Commissioner and the Vigilance Commissioners shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal:

Provided that every appointment under this paragraph shall be made after obtaining the recommendation of a Committee consisting of –

(a) the Prime Minister - Chairperson;
(b) the Minister of Home Affairs - Member;
(c) the Leader of the Opposition in the House of the People - Member.

(ii) A panel of names of persons fulfilling eligibility conditions as explained in paragraph 1.2 above shall be provided to the Committee by the Cabinet Secretary for its consideration.

Explanation – For the purposes of this paragraph, "the Leader of the Opposition in the House of the People" shall, when no such Leader has been so recognized, include the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the House of the People.

(iii) No appointment of a Central Vigilance Commissioner or a Vigilance Commissioner shall be invalid merely by reason of any vacancy in the Committee.